15.05.2019 :—

डिक्रीदार एवं मद्‌यून के अधिवक्ता उपस्थित । डिक्रीदार की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी पी सी में दिनांक 17.10.2015 को इस आशय का पेश किया गया कि यह विचाराधीन प्रकरण माननीय औद्योगिक प्राधिकरण, उदयपुर द्वारा पारित पंचाट दिनांक 13.03.2006 की पालना कराये जाने के लिये प्रस्तुत किया गया है जिसमें मद्‌यून विपक्षी को 2 वर्ष से अधिक सेवा के कर्मकारों को स्थिरीकरण, समान वेतन, महंगाई भत्ता, चिकित्सा सुविधा तथा सन् 1990 से चढ़ी राशि व उस पर 6 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भुगतान के आदेश दिये थे । इस पंचाट की पालना हेतु डिक्रीदार/प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय से विपक्षी मद्‌यून को आदेश जारी कर भुगतान किये जाने का निवेदन किया गया था । कर्मकारों के पास कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं होता है । नियुक्ति, सेवानिवृत्ति, मृत्यु तथा सेवा अभिलेख से संबंधित सारी जानकारी एकमात्र विपक्षी मद्‌यून के पास है । जबकि न्यायालय द्वारा आज्ञप्तिधारी को दिनांक 21.02.2015 को कर्मकारों की मृत्यु की सूचना तथा एरियर बनाकर देने के लिये आदेश जारी किये गये । पूर्व में प्रसारित आदेशों के स्थान पर माननीय न्यायालय द्वारा उक्त आदेश पर पुनर्विचार कर विपक्षी मद्‌यून को कर्मकारों के स्थाईकरण, स्थिरीकरण, समान वेतन, महंगाई भत्ता, चिकित्सा सुविधा, चढ़ी राशि एवं ब्याज भुगतान के आदेश देना विधिसंगत होगा जिससे पंचाट की पालना हो सके । प्रकरण का संबंध गरीब वर्ग के मजदूरों तथा उनके वेतन व परिलाभों से संबंधित है जो 1986 से अब तक लम्बित होने के बावजूद भी कुछ भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं । प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पंचाट की पालना कराई जावे ।

इस प्रार्थना पत्र का लिखित जवाब पेश नहीं कर विद्वान अधिवक्ता मद्‌यून ने सीधे बहस करना जाहिर किया ।

इस प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई । पत्रावली की आदेशिका दिनांक 21.02.2015 का भी अवलोकन किया गया जिसमें इस न्यायालय के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या

4635/2006 की प्रति व रिट याचिका में लिखी गई अंतरिम राहत का प्रार्थना पत्र जिसका निस्तारण 11.11.2011 को हुआ, उसकी प्रति तथा मद्‌यून की स्टे एप्लीकेशन पर जो अंतिम आदेश माननीय उच्च न्यायालय ने पारित किया उसकी प्रति के साथ साथ इजराय के प्रार्थना पत्र में कितने व्यक्तियों को एवं किस किस व्यक्ति को कितनी राशि मिलनी व इजराय कुल कितनी राशि है, को पेश करने का निर्देश जारी किये गये थे । उसके अनुसार पत्रावली पर उक्त दस्तावेज प्रस्तुत हुए हैं ।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता डिक्रीदार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह भी कथन किया कि कर्मकारों को इस न्यायालय से अभी तक कोई अनुतोष इस प्रकरण में प्राप्त नहीं हुआ है। साथ ही उन्होंने तर्क दिया कि डिक्रीदार के अधिवक्ता के इस तर्क का प्रश्न है कि न्यायालय का माननीय सर्वोच्च न्यायालय व विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के आने पर नाथद्वारा मन्दिर में आने जाने का कार्य पड़ता रहता है व न्यायालय स्वयं भी मन्दिर आती जाती है इस कारण न्यायालय भी मन्दिर मण्डल के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही नहीं करता है ।

इस संदर्भ में विद्वान अधिवक्ता मद्‌यून का यह कथन है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 09.03.2009 को अपने आदेश में यह निष्कर्ष लेखबद्ध किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित प्रकरण उत्तरप्रदेश राज्य बनाम जयबीरसिंह व अन्य में निर्णय होने तक सिविल रिट पिटिशन संख्या 4635/2006 को डेफर किया था । इस प्रकरण का कोई भी निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित नहीं हुआ है । ऐसी स्थिति में इस इजराय की पालना किया जाना माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध हो सकती है ।ऐसी स्थिति में इस पर कोई कार्यवाही नहीं की जावे ।

उभयपक्षकारों के तर्कों को सुना । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया । पत्रावली पर औद्योगिक विवाद अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, उदयपुर के द्वारा दिनांक 13.03.2006 को

पंचाट जारी किया गया था जिसके निष्पादन हेतु यह प्रकरण माननीय जिला एवं सेशन न्यायालय, राजसमन्द से मुंतकिल होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ । इस प्रकरण के संबंध में नाथद्वारा मन्दिर मण्डल द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एक सिविल रिट पिटिशन नम्बर 4635/2006 दायर की गई जिसमें दिनांक 04.12.2006 को माननीय न्यायाधिपति श्री मोहम्मद रफीक द्वारा यह आदेश पारित किया गया :–

"In order to hear the matter finally, it would be only appropriate to call for the records of the labour court, records of the labour court be there fore called for.

Learned counsel for the petitioner prays for interim order. In view however of the statement made by learned counsel for the respondents that till the matter is next listed, they will not persue implementation/execution of the Impugned award, no order need be passed on stay petition at this stage.

Put up on 08 January 2006 as agreed to by the learned counsel for the parties for hearing the matter finally."

तत्पश्चात् दिनांक 08.01.2007 को माननीय न्यायाधिपति श्री एच आर पंवार द्वारा यह आदेश पारित किया गया :–

"Learned counsel for the non-petitioners submits that the non-petitioners will not persue implementation and execution of the award empugned till the record is received and the matter is there after listed before the court."

तत्पश्चात् दिनांक 11.01.2008 को माननीय न्यायाधिपति श्री दिनेश माहेश्वरी के द्वारा यह आदेश पारित किया गया :–

"Put-up on 23-01-2008 as prayed for the agreed to by learned counsel for the parties."

दिनांक 23.01.2008 को माननीय न्यायाधिपति श्री प्रकाश टांटिया द्वारा यह आदेश दिया गया :–

"At the request of learned counsel for the parties list this matter after two weeks."

दिनांक 28.08.2008 को माननीय न्यायाधिपति श्री गोपालकृष्ण व्यास द्वारा यह आदेश दिया गया कि "List this case after one month."

दिनांक 24.11.2008 को माननीय न्यायाधिपति श्री एच आर पंवार द्वारा यह आदेश दिया गया :-

"At the request of the learned counsel for the respondents the matter is adjourned for four weeks."

दिनांक 19.01.2009 को माननीय न्यायाधिपति श्री एच आर पंवार द्वारा यह आदेश पारित किया गया :-

"Learned counsel for the parties submit that a controversy identical to the instant writ petition, has been raised before the Hon'ble Supreme Court.

At the request, the matter is adjourned till learned counsel for the petitioners intimates this court about the decision of the Hon'ble Supreme Court."

दिनांक 09.03.2009 को माननीय न्यायाधिपति श्री एच आर पंवार द्वारा यह आदेश पारित किया गया :-

"By an application being IA 2057/2009 filed by the petitioner, the petitioner submits that the case of State of Utter Pardesh Vs. Jai Bir Singh and Ors. Has been referred by the Hon'ble Supreme Court to a larger bench while considering the ratio of the decision in Bangalore water supply and sewerage boards case and, therefore, till the decision is rendered by the larger bench of the Hon'ble Supreme Court the hearing of the matter may be deferred.

In view of the statement of the learned counsel for the petitioner the hearing of the matter is deferred till the decision

of the larger bench of the Hon'ble Supreme Court in state of U.P. Vs. Jai Bir Singh and Ors. Is rendered, The application accordingly stands disposed of."

दिनांक 11.11.2011 को इसी याचिका में प्रस्तुत हुई अंतरिम प्रार्थना पत्र नम्बर 14055/2011 में माननीय न्यायाधिपति डॉक्टर श्री विनीत कोठारी ने यह आदेश पारित कियाः–

"By way of aforesaid application, the respondent workmen has prayed for equal pay for equal work, fixation etc. such relief can not be granted by way of inetrim order the IA is accordingly rejected."

इस प्रकार हस्तगत इजराय से संबंधित एस बी सिविल रिट पिटिशन नम्बर 4635/2006 जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में लम्बित है जिसमें माननीय न्यायालय को यह तय करना है कि उक्त डिक्रीदार कर्मकार की श्रेणी में आते हैं अथवा नहीं और यह मामला सर्वोच्च न्यायालय लार्जर बेंच के समक्ष विचाराधीन है जिस पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस रिट याचिका में कोई आदेश पारित नहीं कर मामले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का उत्तरप्रदेश राज्य बनाम जयबीरसिंह के प्रकरण में निर्णय आने तक के लिये डेफर कर रखा है । उक्त परिस्थिति में यद्यपि इजराय की कार्यवाही में कोई स्थगन किसी भी न्यायालय का नहीं है परन्तु इससे संबंधित प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की लार्जर बेंच का निर्णय आने तक कार्यवाही को लम्बित रखा हुआ है । उक्त परिस्थिति में यदि इस इजराय में कोई आदेश पारित कर दिया जाता है तो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उत्तरप्रदेश राज्य बनाम जयबीरसिंह आदि के प्रकरण में आने वाले निर्णय का प्रभाव इस प्रकरण पर भी पड़ेगा और डिक्रीदार के विपरीत निर्णय आने पर आज की स्थिति को यथावत कर पाना एक दुष्कर कार्य होगा । इसके विपरीत डिक्रीदार के पक्ष में निर्णय आने पर वे इस इजराय की पालना करा

सकेंगे और पंचाट अनुसार उन्हें देय राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी प्राप्त हो सकेगा । ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में कार्यवाही की जाना शीघ्रता होगी ।

डिक्रीदार के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस एक तर्क यह भी दिया है कि न्यायालय का माननीय सर्वोच्च न्यायालय व विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के आने पर नाथद्वारा मन्दिर में आने जाने का कार्य पड़ता रहता है व न्यायालय स्वयं भी मन्दिर आती जाती है इस कारण न्यायालय भी मन्दिर मण्डल के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही नहीं करती है । परन्तु विद्वान अधिवक्ता का उक्त तर्क पूर्णतया अनुचित है क्योंकि इस न्यायालय के समक्ष सभी पक्षकार समान है तथा न्यायालय द्वारा मात्र अभिलेख व साक्ष्य के आधार पर विधि अनुसार कार्यवाही कर आदेश/निर्णय पारित किये जाते हैं ।

उपरोक्त समस्त स्थिति को देखते हुए हस्तगत प्रकरण में भी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रकरण एस बी सिविल रिट याचिका संख्या 4635/2006 में कोई आदेश पारित होने के पश्चात् ही आगामी कार्यवाही की जाना न्यायोचित पाया जाता है । अतः प्रार्थी/डिक्रीदार की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 दिनांक 17.10.2015 खारिज किया जाता है ।

पत्रावली माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से आदेश प्राप्त होने के इन्तजार में दिनांक 07.08.2019 को पेश हो ।